उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456 010

टैक्सी परमिट वाहन बोलेरो किराये पर अनुबंधित करने हेतु ई–निविदा (द्वितीय)

ई–निविदा क्रमांक उ.दु.स. / यातायात / 2019 / 5996 दिनांकः 11.11.2019

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010

फोन नं. 0734–2527071

ई–मेलः **udsplant@gmail.com**

ई–निविदा प्रपत्र मूल्यः– रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@gmail.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांकः उ.दु.सं. / यातायात / 2019 / 5996 दिनांकः 11.11.2019

–: ई–निविदा सूचना :–

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में दो नग टैक्सी परमिट वाहनों को 3 वर्ष किराये पर चलाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई–टेण्डर की वेबसाइट (www.mptenders.gov.in) से दिनांक 13.11.2019 से क्रय की जा सकती है। ई–निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट (www.mpcdf.gov.in) पर भी देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 28.11.2019 समय दोपहर 2:00 बजे तक है। समस्त निविदा अथवा एक निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार के संसोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जायेगी।

क्रमांक	विवरण	मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय राशि
01	टैक्सी परमिट वाहन (बोलेरो या समकक्ष वाहन) (मॉडल 2019 के ही मान्य)	01 नग	रू. 10,000.00	रू. 500.00 (रू. पांच सौ मात्र)
02	टैक्सी परमिट वाहन (इनोवा) (मॉडल 2019 के ही मान्य)	01 नग	रू. 10,000.00	रू. 500.00 (रू. पांच सौ मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

An ISO-9001 : 2000 & ISO 22000 : 2005

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone: (0734) 2527071
E-mail: udsplant@gmail.com

नविदा प्रपत्र क्रमांकः उ.दु.सं./यातायात/2019/5548 दिनांकः 17.10.2019

	ई– निविदा प्रपत्र निविदा कार्य – टैक्सी परमिट वाहन किराये पर अनुबंधित करने हेतु ई–निविदा प्रपत्र	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 500.00/– (अक्षरी– रू. पांच सौ मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय।	दिनांकः 13.11..2019 सायं 6.00 बजे से
2.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 28.11.2019 दोपहर 2.00 बजे तक
3.	ई–निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः 28.11.2019 दोपहर 2.00 बजे तक
4.	तकनीकी प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांकः 29.11.2019 दोपहर 3.00 बजे
5.	वित्तीय प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी अंर्हता पूर्ण होने के उपरांत
5.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म0प्र0) 456010
7.	अमानत राशि	रू. 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट (अ)

सामान्य नियम एवं शर्तें

01– उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के द्वारा दो नग टैक्सी वाहन (एक नग बोलेरो अथवा समकक्ष एवं एक नग इनोवा वाहन) वार्षिक अनुबंध पर अनुबंधित करने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

02– किसी भी दर प्रपत्र को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास सुरक्षित है।

03– ई–निविदा प्रपत्र एम.पी. ई–टेण्डर के पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर राशि रु. 500.00 (रूपये पांच सौ मात्र) ऑनलाइन भुगतान कर दिनांक 13.11.2019 से क्रय की जा सकती है।

04– निर्धारित समय तक भरे गये ई–निविदा के तकनीकी प्रपत्र कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के प्रांगण में एम.पी. ई–टेण्डर के वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से दिनांक 29.11.2019 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। केवल ऑनलाइन निविदा प्रपत्रों को ही मान्य किया जायेगा।

06– तकनीकी अंर्हताऐ पूर्ण होने के उपरांत निविदाओं के वित्तीय प्रपत्र(PriceBid) ऑनलाइन खोली जायेगी।

07– निविदाकर्ता को निविदा के साथ संपूर्ण पता, दूरभाष नंबर/मोबाइल/ई–मेल/टिन नंबर/पेन/जी.एस.टी. नंबर आदि की पूर्ण जानकारी निविदाफार्म में भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं पेन नंबर की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से ऑनलाइन अपलोड करें।

08– निविदा में अंकित दर में समस्त कर सम्मिलित होना चाहिये।

09– दर प्रस्तुतकर्ता के पास किसी प्रतिष्ठित निजी/सहकारी/शासकीय संस्था में वाहन अनुबंधित किया हो, तो कार्य आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें।

10(अ)– वाहन मॉडल वर्ष 2019 के ही स्वीकार किया जावेगें।

10(ब)– निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए वाहन का उपयोग विभाग के लिए सप्ताह में सभी सात दिनों के लिए किया जाएगा। संघ द्वारा चयनित वाहन के उपयोग को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करता है। वाहन अधिकतम प्रति माह 3500 किलोमीटर तक चलाया जाना है। अप्रयुक्त किलो मीटर को अगले महीने तक ले जाया जाएगा और यह एक वर्ष के अनुबंध की अवधि के अंत तक या विस्तारित अवधि तक जारी रहेगा। यदि वाहन उपरोक्त शर्तों के अनुसार मासिक सीमा से अधिक है, तो सहमति और शर्तों के अनुसार विक्रेता को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। वाहन प्रदाता के कार्यालय या किसी अन्य स्थान से संघ कार्यालय परिसर, उज्जैन तक के

माइलेज को माइलेज के तहत नहीं गिना जाएगा। कार्य समय के वाहन को संघ द्वारा तय किए गए स्थान पर पार्क किया जाएगा।

11—वाहन भौतिक सत्यापन उपरान्त ही अनुबंधित किया जावेगा।

12— वाहन तीन वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित किया जाकर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि आगामी एक—एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी।

13—निविदाकर्ता द्वारा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वाहन को एक माह की सूचना देकर बंद कर दिया जावेगा।

14— अनुबंधकर्ता मालिक को वाहन का पूर्ण रखरखाव, आईल इत्यादि खर्च स्वंय को वहन करना होगा। आवश्यकता अनुसार ए.सी. चलाये जाने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

15— वाहन के समस्त दस्तावेज पंजीयन, बीमा, परमिट, आदि वाहन में रखने होगें तथा सभी दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यालय में जमा करना हागी। वाहन पासिंग ऑल इंण्डिया होना चाहिये।

16— समय—समय पर परमिट, बीमा का नवीनीकरण वाहन मालिक को कराना होगा। जिसकी छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

17— निविदा स्वीकृति पश्चात कार्यादेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।

18— वाहन में वातानुकूलन की सुविधा होना आवश्यक है।

19— वाहन चालक को वाहन की लागबुक प्रतिदिन भरकर वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर कराना होगा।

20— वाहन के अनुंबंध उपरान्त वाहन में लगने वाले डीजल या अन्य रखरखाव हेतु संघ द्वारा कोई अग्रिम नहीं दिया जावेगा।

21— वाहन का देयक प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान 15 कार्यदिवस पश्चात् किया जायेगा।

22— वाहन के देयक पर काटें जाने वाले टी.डी.एस का प्रमाण पत्र वर्षान्त में लेखा शाखा द्वारा दिया जावेगा।

23— वाहन चालक के वेतन एवं अन्य मद ई.एस.आई / ई.पी.एफ. एवं दुर्घटना की स्थिति में हानि एवं खामियाजा की स्थिति में ठेकेदार स्वयं ही उक्त सभी दायित्वों के लिये जिम्मेदार होगा।

24— वाहन अनुबंधित होने के उपरान्त डीजल दर वृद्धि की अन्तरराशि का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा। लगने वाले वाहन का औसत डीजल खपत का आकलन 15 कि.मी. प्रति लीटर के मान से किया जावेगा।

25– कार्यालयीन कार्य में उपयोग वाहन का टोल टेक्स रसीद लाकबुक में इन्ट्री उपरान्त उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन उपरान्त मासिक देयक के साथ प्रति माह किया जावेगा।

26(अ) यदि निविदाकर्ता नवीन वाहन क्रय कर अनुबंधित करना चाहता है, तो वाहन क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु मात्र 15 दिवस का समय दिया जायेगा बशर्ते निविदाकार एल1 हो।

26(ब) उक्त निविदाकार निर्धारित समय सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराता है, तो अन्य निविदाकारों को अवसर दिया जायेगा।

27– वाहन अनुबंधकर्ता द्वारा मांग अनुसार समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लेने पर उक्त व्यय की वसूली अनुबंधकर्ता के देयक से वसूल की जायेगी।

28– वाहन अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध समयावधि के बीच वाहन बंद किये जाने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

29– यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की अधिनिर्णयार्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति उभय पक्ष की सहमति से होगी यदि इसमें विवाद है, तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रेटर एक्ट 1996 के अनुसार होगी व Arbitrator and Conciliator का निर्णय अंति होकर उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा। आब्रिट्रेटर की फीस का भुगतान दोनों पक्ष समानता से वहन करेंगे। यहां यह उल्लेखनिय है कि आर्बिट्रेटर विवाद को अधिकतम दो माह की अवधि में निराकरण करेंगे।

30– क्योंकि यह अनुबंध उज्जैन में निष्पादन किया जा रहा है इस कारण किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।

31– वाहन अनुबंधकर्ता को कार्य आदेश प्राप्ति से एक माह में रु. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर उज्जैन दुग्ध संघ से अनुबंध निष्पादित करना होगा।

<u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी</u>

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

An ISO-9001 : 2000 & ISO 22000 : 2005

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@gmail.com **G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB**

क्रमांकः उ.दु.सं. / यातायात / 2019 / 5996 दिनांकः 11.11.2019

<u>परिशिष्ट – (ब)</u>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
महोदय,

01	दर प्रस्तुतकर्ता का नाम / पता /	
02	दूरभाष क्रमांक / ई–मेल आई.डी.	मो. ईमेलः
03	क्या निविदा स्वयं के नाम या साझेदारी / कंपनी के नाम भरा जा रहा है।	
04	साझेदारी / कंपनी का है तो, साझेदारो के नाम, पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल आई.डी. एवं पेन	
05	निविदाकार के स्वयं / साझेदारी / कंपनी को पेन नंबर / जी.एस.टी. नंबर (प्रतिलिपि संलग्न करें) यदि फर्म पार्टनरशिप में हो, तो सभी पार्टनरों का पेन नंबर प्रस्तुत करें।	
06	दो वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (कार्य आदेश / अन्य पुख्ता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्नित करें।	
07	वाहन का पंजीयन क्रमांक बीमा पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें)	

(प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त वांछित जानकारियों आवश्यक रूप से भरे एवं चाहे गये प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करें)

में.. निवासी...के द्वारा सत्यापित करता हुं कि उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा मेरी संस्था अथवा फर्म को सामान कार्य हेतु ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर एवं मुहर

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@gmail.com **G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB**

क्रमांकः उ.दु.सं./यातायात/2019/5996 दिनांकः 11.11.2019

परिशिष्ट – (स)

दर प्रपत्र

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम...

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मात्रा	दर	जीएसटी यदि हो तो	कुल दर (मय जीएसटी)
01	बोलेरो अथवा समकक्ष (माडल 2019 के ही मान्य) दर किलोमीटर के आधार पर प्रस्तुत की जाना है।	01 नग	रू.	रू.	रू. ....